न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी–रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 248/2022

दावा 53 आर.टी.ए. (दावा बाबत कृषि जोत विभाजन)

विक्रम पुत्र भागसिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

.....वादी

बनाम

1–देवीलाल पुत्र दौलतराम 2–दीपक पुत्र रणवीर 3–बन्तोदेवी पत्नी रणवीर 4–कान्ता पुत्री रणवीर 5–सुमनबाला पुत्री रणवीर 6–धर्मपाल पुत्र जयराम 7–नवीन पुत्र रामजस पुत्र दुलीचन्द 8–रामजीलाल पुत्र दुलीचन्द 9–रामरतन पुत्र दुलीचन्द 10–विनोदकुमार पुत्र शिव भगवान 11–गोरव पुत्र राजाराम सभी जाति जाट साकिनान दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 12–स्टेट बैक ऑफ इण्डिया संगरिया जरिए मैनेजर 13–पी.एन.बी. बैंक शाखा दीनगढ़ जरिए मैनेजर 14–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री ओमप्रकाश शर्मा–वकील वादी

2–श्री संजय साहेवाल–वकील प्रतिवादी–12

निर्णय

दिनांक 20.12.2022

यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। जिसमें अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 55/08 में योग खाता 8.096 है0 में से 5/32 हिस्सा की 1.265 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। कुल भूमि का विवरण इस प्रकार से है:–चक न. 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 55/08 खाता कान्ता आदि में प.न.183/136 मु.नं. 28 कि.न. 25/0.253, प.न.183/137 मु.नं.35 कि.न. 5–6–15–16–25/1.265, प.न. 183/138 मु.नं. 46 कि.न. 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025,प.न. 184/136 मु.नं. 27 कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 7–8–14/0.759, 15/1/0.240, 15/2/0.013, 16/1/0.240, 16/2/0.013, 17–21–22–23/1.012, प.न. 184/137 मु. न. 36 कि.न. 1–2–10–11–20–21/1.518, प.न.184/138 मु.न. 45 कि.न. 1–9–10–11/ 1.012, प.न.185/136 मु.न. 26 कि.न.11–12–19–20/1.012, योग–8.096 है0 नहरी मय गै0मु0। कि वादी का प्रतिवादीगण के साथ अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि के आधार पर शुरू से ही घरू विभाजन रहा है वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि पर बिना किसी बाधा के शान्ती पूर्वक काबिज है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन वादी अपना खाता सांझा नहीं रखना चाहता क्यों कि साझें खाते में सींव–बट व रकम राज का हमेशा विवाद रहता है तथा वादी को के.सी.सी. बनाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि का खाता विभाजन कराने का अधिकारी एवं

शैष पृष्ठ 2 पर

20/12
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with OKEN Scanner

दावेदार है। वादी के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:—वादी विक्रम पुत्र भागसिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ की कब्जा काश्त की भूमि विवरण :—चक न. 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 55/08 खाता कान्ता आदि में प.न. 184/136 मु.नं. 27 कि.न. 15/1/0.240, 15/2/0.013, व प.न.185/136 मु.नं. 26 कि.न. 11—12—19—20/1.012, इस प्रकार कल 1.265 है0 नहरी मय गै0मु0। वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि मौखिक विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार वादी के कब्जा काश्त की भूमि का खाता तकसीम करवा रकम राज अलग से कायम करवाने में सहमति देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उपरौक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख मुकर्र की गई। प्रतिवादीगण को सम्मन भेजे गये जिसमें बाद तामील सम्मन प्राप्त हुये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया तथा बार बार आवाज लगाने पर हाजिर नहीं आने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 व 13 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 13 बैंक की तरफ से जबाब नहीं आने से उनकी जबाबदेही बन्द की गई तथा प्रतिवादी संख्या 14 स्टेट की तरफ से राज पेरोकार ने जबाब प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दावे में किसी प्रकार का विरोध नहीं आने से तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही तथा साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा जमाबन्दी प्रर्दश करवाई गई। बहस वकील वादी सुनी गई जिसमें वादी वकील ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये अपनी कब्जा काश्त की भूमि का खाता विभाजन किये जाने एवं रकम राज अलग से कायम किये जाने का अनुरोध किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा जमाबन्दी में वादी विक्रम के नाम 5/32 हिस्सा की 1.265 है0 भूमि दर्ज जिसका वह खातेदार काश्तकार है, तथा दावा में किसी का विरोध नहीं आने उसकी कब्जा काश्त साबित है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है, कि वादी मुताबिक कब्जा काश्त चक नम्बर 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 55/08 खाता कान्ता आदि में प.न. 184/136 मु.नं.27 कि.न. 15/1/0.240, 15/2/0.013, व प.न.185/136 मु.नं. 26 कि.न. 11—12—19—20/1.012, इस प्रकार कल 1.265 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का वादी के नाम से खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे। यदि वादी का हिस्सा बैंक के रहन नहीं हो तो अमल दरामंद कर दिया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/22

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय—सहायक कलैक्टर, संगरिया

पीठासीन अधिकारी— रमेश देव (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या— 248/2022 दावा 53 आर.टी.ए.

विक्रम पुत्र भागसिंह जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

.......वादी

बनाम

1—देवीलाल पुत्र दौलतराम 2—दीपक पुत्र रणवीर 3—बन्तोदेवी पत्नी रणवीर 4—कान्ता पुत्री रणवीर 5—सुमनबाला पुत्री रणवीर 6—धर्मपाल पुत्र जयराम 7—नवीन पुत्र रामजस पुत्र दुलीचन्द 8—रामजीलाल पुत्र दुलीचन्द 9—रामरतन पुत्र दुलीचन्द 10—विनोदकुमार पुत्र शिव भगवान 11—गोरव पुत्र राजाराम सभी जाति जाट साकिनान दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 12—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया संगरिया जरिए मैनेजर 13—पी.एन.बी. बैंक शाखा दीनगढ़ जरिए मैनेजर 14—तहसीलदार राजस्व संगरिया।

.......प्रतिवादीगण

।दावा बाबत कृषि जोत विभाजन।

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट वकील वादी मिन जानिब संजय साहेवाल प्रतिवादी 12 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—वादी मुताबिक कब्जा काश्त चक नम्बर 5 डी.एन.जी. खाता संख्या 55/08 खाता कान्ता आदि में प.न. 184/136 मु.नं.27 कि.न.15/1/0.240, 15/2/0.013, व प.न.185/136 मु.नं. 26 कि.न. 11—12—19—20/1.012, इस प्रकार कल 1.265 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि का वादी के नाम से खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि वादी का हिस्सा बैंक के रहन नहीं हो तो अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज.....X.......निल.......X.....मुब्लिक.......X........निल.....X.......बाबत.....X........निल 150/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.........X..........को अदा करे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया

20/12/22

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official